५०

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1175—दो/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—12—01 के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 297/अपील/2000—01.

.....

1.गुलबसिया पत्नी सव.रामे वर प्रसाद पटेल
2.राधामती पुत्री स्व.रामे वर प्रसाद पटेल
3.रामवती पुत्री स्व.रामे वर प्रसाद पटेल
सभी निवासी ग्राम जोगिनिहाई तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला—रीवा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1.तेरसी पत्नी स्व0 बृजभान पटेल
2.रमेश प्रसाद
3.दिनेश प्रसाद
4.गणेश प्रसाद
पुत्रगण स्व0 श्री बृजभान पटेल
निवासी— ग्राम जोगिनिहाई तहसील
रायपुर कर्चुलियान. जिला—रीवा म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री प्रदीप, श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री योगेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 22-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय के आदेश दिनांक 12.12.17 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकर है कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24. 07.97 के जरिये बादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी पक्ष का कब्जा दर्ज करने का आदेश संहिता के धारा 115 के अन्तर्गत पारित किया जिसके विरुद्व उत्तरवादी पक्ष ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 24.07.97 को इस आधार पर निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.2.2001 से निरस्त किया गया इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे उनके द्वारा दिनांक 3. 12.01 को निरस्त अपील की गई इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि संहिता के धारा 115 के अन्तरर्गत कब्जा दर्ज करने की कार्यवाही आवेदन पत्र पर नही की जानी बल्कि स्वप्रेरणा से की जाती, अपील मेमो में अपीलार्थी पक्ष ने उसी बिन्दु को प्रमुख से उठाया है कि संहिता की धारा 121 के अनुसार पटवारी का दायित्व होता है कि वह प्रति वर्ष अपने क्षेत्र का गहन परीक्षण करें और मौके की स्थिति के अनुसार कब्जा की प्रविष्टि करें और यदि पटवारी ऐसा नही करता तो व्यक्ति तहसील न्यायालय मे आवेदन दे तो कब्जा प्रविष्टि हेतु अनुरोध कर सकता है।

4– अपीलार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्त ने तर्क में कहा है कि तहसीलदार के न्यायायल में संहिता के धारा 115 के अन्तरर्गत की गई कार्यवाही विधि संगत नही है तथा तहसीलदार ने अपने ओदश दिनांक 24.07.97 में जरिये नवीन प्रविष्टि का

श्रृजन किया है जबकि संहिता के धारा 115–116 के अन्तरर्गत तहसीलदार को खसरे में नवीन प्रविष्टि करने का अधिकार नही है । उत्तरवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यही तर्क इस न्यायालय में भी प्रस्तुत किया है तथा उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि तहसीलदार के न्यायालय में अपीलार्थी पक्ष द्वारा कब्जा इन्द्राज के वे किस वर्ष का कब्जा इन्द्राज चाहते है विद्वान अधिवक्ता के अनुसार के इस आवेदन पत्र के सम्बंध में समय सीमा का भी प्रश्न उठाय है तथा तहसीलदार द्वारा दो वर्षो का कब्जा दर्ज करने का आदेश पारित कर संहिता के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई और ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश के निरस्त कर कोई त्रुटि नही की गई है।

5– अपीलार्थी पक्ष के तर्क से सहमत नही हूँ। अनावेदक पक्ष के तर्क में बल है । तहसीलदार के न्यायालय में सम्पूर्ण कार्यवाही आवेदक रामेश्वर प्रसाद पटेल जो अपीलार्थी पक्ष का पिता है द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र दिनाक 18.07.96 के आधार पर प्रारम्भ की गई जाहिर है कि यह आवेदक पत्र संहिता के धारा 116 के अन्तर्गत दिया गया । आवेदन पत्र में न तो यह उल्लेख दिया गया कि आवेदन का कब्जा कब से वादस्ग्रस्त भूमि पर नही लिखा जा रहा है और न ही इसका उल्लेख है कि वह वह किस कृषि वर्ष हेतु अपने नाम वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा की प्रविष्टि चाहता है, ऐसा आवेदक पत्र समय –सीमा के अन्तरर्गत माना ही नही जा सकता क्योंकि संहिता के प्रावधानो के अनुसार विवादित भू–खंड पर कब्जा दर्ज होने के एक वर्ष के अन्दर व्यक्ति पक्षकार संहिता के धारा 116 के अन्तर्गत कब्जा सुधार हेतु आवेदन पत्र दे सकता है और विस्तृत जांचोपरान्त तहसीलदार मात्र एक वर्ष के कब्जा के संशोधन का आदेश पारित कर सकता हो वर्तमान प्रकरण में आवेदनपत्र मे इन दोनो ही बातों की अवहेलना की गई है और तहसीलदार द्वारा तदनुसार अपने आदेश दिनांक 24.07.97 मे भी संहिता के उक्त प्रावधानो का लल्लंघन किया

गया है तहसीलदार के उक्त आदेश के जरिये नई प्रविष्टि का श्रृजन कर दिया है जो सर्वथा विधि विपरीत है तथा अनुविभागीय अधिकारी का यह मान्य करना भी उचित है कि तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही संहिता के धारा 115 के अन्तर्गत की गई है जबकि आवेदन पत्र के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही संहिता के धारा 116 के अन्तर्गत की जाती है। निःसन्देह तहसीलदार ने उक्त समस्त प्रावधानो का उल्लघन किया है और ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिाकारी के आदेश दिनांक 12.02.2001 अपर आयुक्त रीवा द्वारा उचित मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 3.12.2001 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 297 / अपील / 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 3.12.2001 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर